FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0245 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 31/08/2026 10:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 26/08/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 15:43 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/08/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 31/08/2026 10:56:42 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 420 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** ROKADIYA HANUMAN MANDIR KE PASS SITHIT GANDHI KIRANA STOR, MANDSAUR NAKA, PARTAPGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NARAYAN MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):**

(d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	THAKARA BHMEDI, PIPALKHUT, PIPALKHUNT, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	THAKARA BHMEDI, PIPALKHUT, PIPALKHUNT, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):**

Mobile (मोबाइल न.):

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MADAN LAL		पिता:NARAYAN LAL	1. NARELA,GRAM PANCHYAT NARELA,CHANDERIYA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 23.08.2026 समय 11.30 ए.एम. पर आज दिनांक 23.08.2026 को समय करीब 1045 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के फोन पर मोबाईल नम्बर से कॉल आया ओर बताया कि मै दिनेश कुमार गांव ठाकरा पिपलखूंट से बोल रहा हूं मेरे गांव के सुनील मीणा व उसके परिवार वालो से रोहणिया पटवार मण्डल का पटवारी श्री मदन लाल पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहा है श्री सुनिल मीणा इस सम्बन्ध एसीबी में कार्यवाही करवाना चाहता है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो लिखीत रिपोर्ट पेश करने बाबत् कहां तो बताया कि साहब अभी मै प्रतापगढ हूं मेरे गांव का श्री सुनील मीणा जिसने मुझे यह बताया है वह अभी गांव ठाकरा पिपलखूंट में है मैं आपके साथ ठाकरा पिपलखूंट चलकर श्री सुनील मीणा से मिलवा सकता हूं जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार को ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होने हेतु कहां। इमरोज रविवार का अवकाश होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 1049 ए. एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को जरिये वॉट्सअप कॉल किया तो कानि. द्वारा फोन नही उठाया। समय 1050 ए.एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर वाट्सअप कॉल आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया। तत्पश्चात कानि. दिलीप कुमार नं. 319 को जरिये फॉन ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 1056 ए.एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 उपस्थित कार्यालय आया जिसे उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करा श्री दिनेश कुमार के मोबाईल नम्बर सुपुर्द कर कॉल कर बुलाने बाबत् निर्देशित किया गया जिस पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा श्री दिनेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो बताया कि ऑफिस के पास आ गया हु बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूं। तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। समय 1110 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हो अपना परिचय श्री दिनेश कुमार पिता श्री भांजी मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ठाकरा पिपलखूंट जिला प्रतापगढ का होना बताया। कानि. दिलीप कुमार नं. 319 को ब्यूरो के मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड लाने हेतु निर्देशित किया जिस पर कानि. द्वारा मालखाना से निकालकर पेश किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर चेक किया गया तो मेमोरी कार्ड खाली पाया गया। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार व कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 का आपस में परिचय करा उक्त कार्यवाही से अवगत करा श्री दिनेश कुमार के साथ गांव ठाकरा पिपलखूंट पहुंच श्री सुनिल मीणा से मिलकर एसीबी की कार्यप्रणाली से अवगत करा श्री सुनिल मीणा से लिखीत रिपोर्ट प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर श्री दिनेश कुमार के साथ रवाना किया गया। दिनांक 23.08.2026 समय 05.34 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 के मोबाईल नम्बर से वाट्सअप कॉल आया ओर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं श्री दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो समय करीब 0130 पी.एम. पर गांव ठाकरा पहुंचे जहां श्री सुनिल मीणा उपस्थित नही मिला जिस पर श्री दिनेश कुमार द्वारा परिवादी श्री सुनिल मीणा के घर पर पता किया तो श्री सुनील मीणा की माताजी उपस्थित मिली जिन्होने श्री सुनिल मीणा कही बाहर होना तथा देर रात तक आने हेतु बताया जिस पर श्री सुनिल मीणा के आने के इन्तजार में गांव ठाकरा ही मुकिम रहा समय शाम का होने से आपको अवगत कराया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार से श्री सुनिल मीणा से सम्पर्क कर कल दिनांक 24.08.2026 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो रिपोर्ट पेश करने तथा उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध गोपनीयता रखते बाबत् तथा श्री दिनेश कुमार को रुखसत कर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 23.08.2026 समय 09.00 पी.एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया पुर्व में जरिये टेलीफोन द्वारा बताई गई बात की पुष्टि की। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षीत रखा गया। दिनांक 24. 08.2026 समय 10.30 ए.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 ने बताया कि श्री दिनेश कुमार के मोबाईल नम्बर

से मेरे मोबाईल नम्बर पर समय 09.09 ए.एम. पर मीस्ड कॉल आया जिस पर मन् कानि. द्वारा श्री दिनेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो श्री दिनेश कुमार ने बताया कि श्री सुनील मीणा गांव ठाकरा अपने घर पर रात को आ गया है उसको मैंने एसीबी ऑफिस प्रतापगढ पर उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा तो श्री सुनील मीणा ने बताया कि गावं वाले बोल रहे है कि पटवारी साहब आज मौका देखने गांव ठाकरा आ रहे है जिस पर मैं एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित नही हो पाउंगा जिस पर मैने सुनील मीणा को बताया कि मुझे किसी काम से प्रतापगढ़ जाना है तो मैं एसीबी कार्यालय प्रतापगढ जाकर साहब से मिल लुंगा,मै प्रतापगढ़ आ रहा हूं। दिनांक 24.08.2026 समय 12.40 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो बताया कि श्री सुनील मीणा गांव ठाकरा अपने घर पर रात को आ गया था उसको मैंने एसीबी ऑफिस प्रतापगढ पर उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा तो श्री सुनील मीणा ने बताया कि गावं वाले बोल रहे है कि पटवारी साहब आज मौका देखने गांव ठाकरा आ रहे है जिस पर मैं एसीबी कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित नही हो पाउंगा तब मैने सुनील मीणा को बताया कि मुझे किसी काम से प्रतापगढ़ जाना है तो मैं एसीबी कार्यालय प्रतापगढ जाकर साहब से मिल लुंगा उक्त बात कि पुष्टि पुर्व में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा बताई गई बात से होती है। तत्पश्चात श्री दिनेश कुमार को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में सुरक्षीत बैठाया गया तथा कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में बुलाकर कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर गांव ठाकरा पिपलखूंट पहुंच श्री सुनील मीणा से मिलकर एसीबी की कार्यप्रणाली से अवगत करा श्री सुनिल मीणा से लिखीत रिपोर्ट प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 को डिजिटल बॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर श्री दिनेश कुमार के साथ रवाना किया गया। दिनांक 24.08.2026 समय 08.15 पी.एम. पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय हो बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं व श्री दिनेश कुमार कार्यालय से रवाना हो समय करीब 0230 पी. एम. पर गांव पृथ्वीपुरा पहुंचे जहा श्री दिनेश कुमार ने बताया कि आज अपन गांव ठाकरा में नही जाते है अगर ठाकरा जायेंगें तो गांव वालो को शंका हो जायेगी ठाकरा गांव यहा से एक किलोमीटर दूर है मैं श्री सुनील मीणा को यहा पृथ्वीपुरा बुला लेता हूं जिस पर श्री दिनेश कुमार ने श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गांव पृथ्वीपुरा सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के पास बुलाया जिस पर करीब आधे घण्टे बाद श्री सुनील मीणा सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र के पास पृथ्वीपुरा पर उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. द्वारा नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री सुनील मीणा पिता श्री नारायण लाल जाती मीणा उम्र 27 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 ठाकरा रोहणिया होना बताया जिससे कार्यवाही के सम्बन्ध पुछा तो बताया कि मेरे गांव के लोगो व मेरे तथा मेरे परिवार वालो से रोहणिया पटवार मण्डल का पटवारी श्री मदन लाल पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर रहा है मैं इसके खिलाफ कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं जिस पर मन् कानि. द्वारा रिपोर्ट पेश करने बाबत् कहां तो श्री सुनील मीणा ने एक हस्तलिखीत रिपोर्ट स्वयं के हस्ताक्षरशुदा इस आशय कि पेश की कि मैं सुनील पिता नारायण मीणा जाती मीणा निवासी गांव ठाकरा ग्राम पंचायत भमेडी (रोहणिया) तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ का निवासी हूं पटवार मण्डल रोहणिया का पटवारी श्री मदन लाल मेरे गांव के लोगो व मेरे तथा मेरे परिवार वालो से प्रत्येक पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने कि एवज में दो-दो हजार (2000) रूपये की रिश्वत कि मांग कर ग्रहण कर रहा है जिसमें मेरे व मेरे परिवार वालो के कुल 3 पट्टे है मैं उक्त पटवारी मदनलाल को मेरे व मेरे परिवार वालो के पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने के लिए कुल तीन (3) पट्टो की राशि (6000) छः हजार रूपये रिश्वत नही देना चाहता हूं मैं मदन लाल पटवारी रिश्वत राशि देते हुए पकडवाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मेने मेरे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कुमार को बताया। मेरी मदन लाल पटवारी से कोई पुरानी जान पहचान व दुश्मनी नहीं है तथा मेरा इससे किसी लेन देन नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है की कानुनी कारवाई करने की कृपा करे। श्री सुनील मीणा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढकर मन् कानि. ने इस सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार से पुछा तो उसने बताया कि इस कार्यवाही में मैं सुनील के साथ रहूंगा जिस पर श्री दिनेश कुमार के कार्यवाही में सुनील मीणा के साथ रहने पर सहमत होते हुये प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री सुनील मीणा को एसीबी की कार्यप्रणाली से अवगत करा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु बन्द करने की प्रक्रिया बताई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील मीणा ने बताया कि पटवारी साहब अभी तक मेरे गांव में नही आये है गांव वाले सभी मौका दिखाने के लिये पटवारी साहब के आने का इन्तजार कर रहे है। तत्पश्चात मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री सुनील मीणा को संदिग्ध पटवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर लोकेशन पुछने हेतु कहा जिस पर परिवादी श्री सुनील मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर से संदिग्ध पटवारी श्री मदन लाल के मोबाईल नम्बर पर समय 0440 पी.एम. पर परिवादी का फोन लाउड स्पीकर पर रखकर कॉल किया तो दो बार श्री मदन लाल पटवारी का फोन व्यस्थ आया तीसरी बार फिर फोन लगाने पर फोन उठाया तब परिवादी श्री सुनील मीणा ने कहां कि आप निकल गये यहा से तब श्री मदन लाल पटवारी ने कहां कि मैं यहा तेजपुर हुं तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील मीणा ने गांव पृथ्वीपुरा मिलने हेतु कहां तो श्री मदन लाल पटवारी गांव पृथ्वीपुरा में मिलने के लिये सहमत हुआ। उक्त वार्ता को मन् कानि द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर

रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात तेजपुर से पृथ्वीपुरा आने में इतना समय नहीं लगता है जिस पर मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री सुनील मीणा को श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल पर कॉल करने हेतु कहा जिस पर परिवादी श्री सुनील मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर से संदिग्ध पटवारी श्री मदन लाल के मोबाईल नम्बर पर समय 1710 पी. एम. पर परिवादी का फोन लाउड स्पीकर पर रखकर कॉल किया तो श्री मदन लाल पटवारी द्वारा तेजपुर से रवाना हो गये साहब आ ही रहे है कहां तथा परिवादी श्री सुनील मीणा ने पृथ्वीपुरा में जीओ टावर के पास खड़ा हूं होना बताया। उक्त वार्ता को मन् कानि द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात मन् कानि. द्वारा फिर से परिवादी श्री सुनील मीणा को श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल पर कॉल करने हेतु कहा जिस पर परिवादी श्री सुनील मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर से संदिग्ध पटवारी श्री मदन लाल के मोबाईल नम्बर पर समय 1726 पी.एम. पर परिवादी का फोन लाउड स्पीकर पर रखकर कॉल किया तो श्री मदन लाल पटवारी द्वारा 15-20 मीनट में आने हेतु कहां। उक्त वार्ता को मन् कानि द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर रिकोर्ड किया गया। उसके बाद मन् कानि. द्वारा संदिग्ध पटवारी के कहेअनुसार उसके आने का समय हो जाने से परिवादी श्री सुनील मीणा को समय 05.36 पी.एम. पर ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर संदिग्ध पटवारी श्री मदन लाल से रिश्वत राशि मांग सत्यापन आमने-सामने वार्ता हेतु सुपुर्द कर पृथ्वीपुरा जिओ टॉवर के पास मैन रोड पर रवाना किया गया तथा मैं व सह परिवादी श्री दिनेश कुमार अपना छुपाव हासिल करते हुये परिवादी के आस-पास ही मुकिम रहे। तत्पश्चात समय करीब 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा मन् कानि. के पास उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षीत रख लिया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील मीणा द्वारा बताया कि आप द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर मुझे दिये उसके बाद में रोड पर खडा रहा करीब आधे घण्टे बाद पटवारी साहब व उनके साथ एक व्यक्ति ओर था जिसको में नही जानता हूं मोटर साईकिल लेकर मेरे पास आकर रूके उसके बाद मेरी श्री मदन लाल पटवारी से बातचीत हो गई है पटवारी साहब ने मौका देखने व फाईल पे रिपोर्टिंग करने की एवज में मुझसे प्रति फाईल 2000/- रूपये मांगे है तथा मेरी तीन फाईल के हिसाब से कुल 6000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। तत्पश्चात मन् कानि. द्वारा परिवादी श्री सुनील मीणा व सहपरिवादी श्री दिनेश कुमार को कल दिनांक 25.08.2026 को समय 1000 ए.एम. पर ब्युरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होने तथा कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत कर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। तत्पश्चात कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री सुनील मीणा व सह परिवादी श्री दिनेश कुमार द्वारा पेश हस्तलिखीत मय हस्ताक्षरशुदा रिपोर्ट मय ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। तत्पश्चात कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा आज दिनांक 24.08.2026 को परिवादी श्री सुनील मीणा एवं संदिग्ध श्री मदन लाले पटवारी के मध्य समय 0440 पी.एम., समय 0510 पी.एम. व 0526 पी.एम. पर हुई मोबाईल वार्ता तथा समय 0536 पी.एम. पर आमने-सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो कानि. नरेन्द्र सिंह द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिती कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तथा परिवादी व सह परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट को शामिल कार्यवाही की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। आईन्दा अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 25.08.2026 समय 1000 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 ने बताया कि मेरी सह परिवादी श्री दिनेश कुमार से फोन पर बात हुई तो श्री दिनेश कुमार ने बताया कि मैं ओर श्री सुनील मीणा अभी गांव है हम दोनो को आज सुबह 1000 बजे एसीबी कार्यालय पर बुलाया था लेकिन हम दोनो अभी नही आ सकतें है आज दिन में 4-5 बजे तक प्रतापगढ आ जायेगें। दिनांक 25.08.2026 समय 0430 पी.एम.मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 ने बताया कि मेरी सह परिवादी श्री दिनेश कुमार से फोन पर बातचीत हुई जिस पर श्री दिनेश कुमार ने मुझे कहां कि मैं व श्री सुनील मीणा हम दोनो घण्टेभर में प्रतापगढ पहुंच जायेगें ओर बताया कि हम दोनो एसीबी ऑफिस नही आयेंगें वहां हमे कोई देख लेगा जिस पर मन् कानि. द्वारा दोनो को श्रीमान के राजकीय निवास पुराने कोर्ट के सामने प्रतापगढ आकर मिलने हेतु कहा जिस पर परिवादी एवं सह परिवादी दोनो राजकीय निवास पर उपस्थित होने हेतु सहमत हुये। दिनांक 25.08.2026 समय 0515 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 रवाना मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकीय निवास की तरफ हुआ। दिनांक 25.08.2026 समय 0700 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. नरेन्द्र सिह नं. 324 उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा बाद फारीक हाजिर कार्यालय हुआ कार्यालय से रवाना हो समय 0530 पीएम पर राजकीय निवास पर पहुंचा। समय 0550 पीएम पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं सह परिवादी श्री दिनेश कुमार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकीय निवास पर उपस्थित हो परिवादी श्री सुनील मीणा ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया किया आज पटवारी साहब गांव ठाकरा पर मौका देखने के लिये नही आये है। जिस पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल से संदिग्ध पटवारी श्री मदन लाल के मोबाईल पर आरोपी पटवारी की पता करने हेतु फोन लगाने हेतु कहा जिस पर परिवादी श्री सुनील मीणा ने अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी

श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय 0555 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर रिकॉर्ड किया गया। परिवादी श्री सुनील मीणा एवं सह परिवादी श्री दिनेश कुमार को कल प्राप्तः 1100 बजे रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ उपस्थित होने तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 0910 ए.एम.पर अग्रीम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय पशु पालन विभाग प्रतापगढ के नाम गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्र कमांक 1147 दिनांक 26.08.2026 जारी कर जरिये मेंल प्रेषित किया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 1130 ए.एम.पर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग प्रतापगढ़ से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो हर दोनो गवाह ने अपना-अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करते हुये परिचय कमशः श्री विरेन्द्र सिंह पिता श्री तेज सिंह राठौड निवासी 111 बापु गली, धमोत्तर दरवाजा प्रतापगढ़ हाल पशुधन निरीक्षक जिला रोग निदान प्रयोगशाला प्रतापगढ मोबाईल नम्बर एवं श्री अनिल गुर्जर पिता श्री गजेन्द्र गुर्जर निवासी बापु गली वार्ड नम्बर 08 प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ हाल पशुधन निरीक्षक पशु चिकित्सालय देवपुरा जिला प्रतापगढ मोबाईल नम्बर होना बताया। श्री विरेन्द्र सिंह ने कार्यालय संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग प्रतापगढ़ का मनोनित गवाह पत्रांक 2886 दिनांक 26.08.2026 प्रस्तुत किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहो को ब्युरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 1150 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं सह परिवादी श्री दिनेश कुमार मय रिश्वत राशि के हाजिर कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम रिश्वत राशि 6000/- रूपये की व्यवस्था कर लेकर अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित हुये है तथा परिवादी श्री सुनील मीणा ने बताया कि आज मेरी श्री मदन लाल पटवारी से फोन पर बात हुई थी तो पटवारी साहब ने बताया कि मैं गांव ठाकरा के लिये प्रतापगढ़ से निकल गया था मगर रास्ते में मैं मोटर साईकिल से गिर गया तो पेर पर थोडी चोंट आई है तथा आज अवकाश भी है तो में गांव ठाकरा नहीं आ रहा हूं मैं प्रतापगढ अपने घर पर हूं जिस पर मेरे द्वारा प्रतापगढ हॉस्पीटल में कुछ काम होने से प्रतापगढ आने हेतु कहां तो पटवारी साहब ने मुझे प्रतापगढ मन्दसौर नाका प्रतापगढ पर आकर फोन करने हेतु कहा तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी एवं सह परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री सुनील मीणा एवं सह परिवादी श्री दिनेश कुमार की हस्तलिखीत रिपोर्ट दिनांक 24.08.2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी एवं सह परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय कार्यालय कक्ष की अलमारी से निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया और गवाहो को भी सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि की. फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 26.08.2026 समय 1205 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 को ट्रेप कार्यवाही हेतु एक टेक्सी वाहन मंगवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 1210 पी.एम.पर दिनांक 24.08.2026 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सुनील मीणा व आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के मध्य परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर समय 0440 पी.एम., 0510 पी.एम. एवं 526 पी. एम. पर हुई वार्ता जिसे कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रखकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। तथा समय 0536 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के मध्य आमने-सामने हुई वार्ता जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था इस प्रकार कुल 04 वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी श्री सुनील मीणा एवं सह परिवादी श्री दिनेश कुमार के समक्ष श्री ईश्वर लाल कानि. नं. 320 से कार्यालय हाजा के कम्प्युटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता एवं आमने-सामने हुई वार्ता की फर्द ट्रान्सकीप्ट पृथक से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि श्री ईश्वर लाल कानि. नं. 320 से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो ने पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री मदन लाल पटवारी की होना बताया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 26.08.2026 समय 0210 पी. एम.इस समय श्री लोकेश लबाना टेक्सी वाहन अर्टिका लेकर कार्यालय उपस्थित

आया जिसे कार्यालय के बाहर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। दिनांक 26.08.2026 समय 0220 पी. एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ईश्वरलाल कानि० नम्बर 320 को बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. दिलीप नं. 319 से कार्यालय के मालखाना से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy XCOVERr7 मॉडल-SM-G556B), चार्जीग केबल, पॉवर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (KDM 8 GB बरंग काला) डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री ईश्वरलाल कानि० नम्बर 320 को सुपुर्द कर फर्द पेशकशी व रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (KDM 8 GB बरंग काला) श्री ईश्वरलाल कानि० नम्बर 320 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स की सामग्री चैक करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 0230 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज रोहणीया ग्राम पंचायत रोहणीया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री सुनिल मीणा से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500/- रूपये के 12 नोट कुल 6,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है -

क.स.
नोट का प्रकार नोटो के नम्बर
1 500/- रूपये का एक नोट 9RR 801628
2 500/- रूपये का एक नोट 3BP 247546
3 500/- रूपये का एक नोट 5NW 084385
4 500/- रूपये का एक नोट 1DV 542050
5 500/- रूपये का एक नोट 5QC 027622
6 500/- रूपये का एक नोट 0QH 727165
7 500/- रूपये का एक नोट 2ME 414602
8 500/- रूपये का एक नोट 8AA 761864
9 500/- रूपये का एक नोट 8KG 874848
10 500/- रूपये का एक नोट 9QE 681358
11 500/- रूपये का एक नोट 3PS 092011
12 500/- रूपये का एक नोट 5LK 142468

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. से मालखाना से फिनोफ्थलीन की शिशी मंगवाई जाकर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 को सम्भलवाई जाकर हैड कानि द्वारा अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 6,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं पाई गयी। फिनोफ्थेलीन लगे हुए उक्त 500/- रूपये के 12 नोट को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि.06 द्वारा परिवादी श्री सुनिल मीणा के पहने हुए पेन्ट के आगे की दाहिने जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से दो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी एवं सह परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा इसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वलाल कानि. नं. 320 द्वारा सरकारी फोन (सेमसंग कम्पनी) से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोग्राफी करवाई गई। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि

319 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपनी गर्दन पर दो बार हाथ फैरकर या मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी सुनिल मीणा, सह परिवादी श्री दिनेश कुमार, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि नं. 06, श्री दिलीप कुमार कानि नं.319 व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री गणेशप्रसाद हैड कानि को कार्यालय कक्ष पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढ़कर सुनाई. पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 0300 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को मन्दसौर नाका प्रतापगढ के आस-पास पहुंच परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवा परिवादी का मोबाईल लाउड स्पीकर पर रखकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त वार्ता को रिकोर्ड करने की हिदायत मुनासिब कर मन् अतिरिक्त पुलिस रिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री सुनील मीणा तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह व श्री अनिल गुर्जर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के टेक्सी वाहन अर्टिका मय ड्रा. लोकेश लबाना के मन्दसौर नाका प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो पिछे पिछे कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को परिवादी श्री सुनील मीणा की मोटर साईकिल लेकर तथा सह परिवादी श्री दिनेश कुमार को उसकी मोटरसाईकिल से व श्री दिलीप कुमार कानि. व श्री ईश्वरलाल कानि. मय वाहन सरकारी बोलेरो से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से मन्दसौर नाका प्रतापगढ़ की तरफ रवाना हुए। दिनांक 26.08.2026 समय 0630 पी.एम.पर उपरोक्त फिगरा का रखानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री सुनील मीणा तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह व श्री अनिल गुर्जर मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के टेक्सी वाहन अर्टिका मय ड्रा. लोकेश लबाना के मन्दसौर नाका प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो पिछे-पिछे कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को परिवादी श्री सुनील मीणा की मोटर साईकिल लेकर तथा सह परिवादी श्री दिनेश कुमार को उसकी मोटर साईकिल से व श्री दिलीप कुमार कानि.व श्री ईश्वरलाल कानि. मय वाहर सरकारी बोलेरो से मन्दसौर नाका से रोकडिया हनुमान जी मन्दिर जाने वाले मार्ग पर पुरानी कोर्ट के सामने पहुंच अपने-अपने वाहन साईड में खड़े कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. नरेन्द्र सिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आरोपी से वार्ता हेतु सुपुर्द किया। समय 0328 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनिल मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर परिवादी का मोबाईल लाउड स्पीकर पर रख कॉल करवाया गया तो आरोपी श्री मदन लाल पटवारी द्वारा कहां कि नाके पे नाके पे मन्दसोर नाका नल चौराया आजा आजा यहा गांधीजी की दुकान पर खड़ा हूं मैं तेरी ही इन्तजार में खडा हूं वरना चला जाता अभी तक आजा भाई फटाफट आजा यहा आजा तु तो अरनोद रोड का फांटा गुम रहा है दरवाजा बना हुआ है हनुमानजी के तरफ जाते है ना रोकडीया हनुमानजी का दरवाजा बना हुआ है मैं बाहर ही खडा हूं रोड पे आजा आजा फटाफट ऑ. हॉस्पीटल आ गया, आजा में बाहर की रोड पे ही नजर आ जाउंगा तुझे जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री दिलीप कुमार कानि. व श्री ईश्वर लाल कानि. को पुरानी कोर्ट से पेदल-पेदल मन्दसौर नाके पर रोकडीया हनुमानजी दरवाजा पर अपना छुपाव हासील करते हुये परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम रहने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री सुनील मीणा व दोनो स्वतंत्र गवाह मय टेक्सी वाहन अर्टिका के पुरानी कोर्ट से जिला जेल होते हुये बडा बाग, एमजी रोड, भाटपुरा दरवाजा से गोतम नगर कॉलोनी रिलायंस पेट्रेल पम्प के सामने पहुंच पिछे पिछे कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय परिवादी की मोटरसाईकिल के उपस्थित आया तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. नरेन्द्र सिंह को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द करते हुये परिवादी को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड करवाने हेतु सुपुर्द करने बाबत् निर्देशित किया जिस पर समय 0343 पी. एम पर परिवादी श्री सुनील मीणा को कानि नरेन्द्र सिंह द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द कर आरोपी श्री मदन लाल पटवारी से रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से मन्दसोर नाका रोकडीया हनुमानजी दरवाजा हेतु रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह एवं कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 टेक्सी वाहन अर्टिका से मन्दसोर नाका पर रोकडीया हनुमानजी दरवाजा के सामने वाहन अर्टिका का रूख नल चौराया की तरफ कर आरोपी की उपस्थिती को देखा तो आरोपी सुरेश गांधी किराणा स्टोर के बाहर बेंच पर बैठा हुआ दिखा उसी समय परिवादी भी वहां पहुंचा और उसने भी आरोपी को देखकर उसके पास पहुंच अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक की थैली से कुछ कागज बाहर निकालकर आरोपी को दिये। जहां श्री ईश्वरलाल कानि उक्त किरणा स्टोर के दाहिनी ओर व श्री दिलीप कुमार कानि. दुकान के बाई ओर खडे रहकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। करीब 10-12 मीनट बाद परिवादी श्री सुनील मीणा ने अपने गले में दो बार हाथ घुमाकर ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने देख लिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता तेजी से आरोपी के पास पहुंच मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर आरोपी श्री मदन लाल पटवारी से रिश्वत राशि लेने के बारे में पुछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया जिसे अपने पास सुरक्षीत रखा गया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताया कि पटवारी साहब ने मुझसे मेरे तीन पट्टे ऑनलाईन करने व मौका देखने की एवज में प्रत्येक पट्टे के 2000/-रूपये के हिसाब से कुल रिश्वत राशि 6000/- रूपये मांगे जिस पर मेरे द्वारा उक्त रिश्वत राशि 6000/- रूपये अपनी जेब से निकालकर पटवारी साहब के दाहिने हाथ में देने लगा तो पटवारी साहब ने उक्त राशि को एक बार हाथ में पकडकर छोड दिया मै दुबारा देने लगा तो पटवारी साहब ने उनके हाथ से मेरे हाथ को किराणा की दुकान के काउन्टर की तरफ धक्का लगाकर दुकान वाले को देने के लिये कहा जिस पर उक्त रिश्वत राशी 6000/- रूपये मैने दुकान के काउन्टर पर रखकर आपको निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह से सुरेश गांधी किराणा स्टोर के काउन्टर पर रखे रिश्वत राशि 6000/- रूपये बरामद कर अपने पास ही सुरक्षीत रखने हेतु हिदायत दि गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री मदनलाल पटवारी को परिवादी श्री सुनील मीणा से 6000/- रूपये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पुछा तो आवेश में आकर कहने लगा कोई पेसा नहीं लिया मेंने, मैंने कोई पैसा नही लिया मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछा कि यह पैसे आपने रखवाये तो बताया कि नही मैने नही रखवाये मैं किस बात के पैसे रखवाउ तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पुछा कि किसने कहां वहा पैसे रखने के लिये तो परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ने कहा है तत्पश्चात पटवारी से पुछने पर पटवारी परिवादी की तरफ देखकर कहने लगा किस बात के लिये तेरे से पैसे भाई तु मेरे पर क्यु फंस रहा है फसा रहा है मुझे मैं कह रहा हु तेरेको मौका देखना है मैं लिस्ट दिखा रहा हूं इसमें देख । तत्पश्चात दुकान संचालक श्री सुरेश कुमार गांधी से पुछा तो बताया कि मैं मदन लाल जी पटवारी साहब को 2-3 वर्षों से जानता हूं ये मेरी दुकान पर आते जाते रहते है अभी थोडी देर पहले मदनलाल जी पटवारी साहब यहा आये और किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि मैं तेरा कब से इन्तजार कर रहा हूं जल्दी से आ जा मुझे जाना है उसके बाद उनके पास एक व्यक्ति आया कुछ कागजात पर मदन लाल जी पटवारी साहब से हस्ताक्षर करवाये उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने जेब से रूपये निकाल कर पटवारी साहब को दे रहा था पटवारी साहब ने उस व्यक्ति से पैसे लिये और फिर उसे फिर छोड दिये दुबारा देने पर पटवारी साहब ने उस व्यक्ति के हाथ पर धक्का देकर काउन्टर पर रखने हेतु कहा। पटवारी साहब ने उस व्यक्ति से यह पेसे क्यु लिये यह में नहीं जानता हूँ। उसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री अनील गुर्जर से आरोपी पटवारी के दोनो जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के जेब से 500-500 रूपये की एक गड्डी मिली तथा एक रियलमी कम्पनी का एन्ड्रोईड मोबाईल फोन तथा ईन्टेल कम्पनी का कि-पेड फोन मीला जिसे स्वतंन्त्र गवाह श्री अनील गुर्जर के पास सुरक्षीत रखने की हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात मौके पर काफी भीड ईकट्टा होने तथा मन्दसौर नाका सबसे व्यस्तम चौराया होने से काफी वाहनो व लोगो के आवाजाही होने से अग्रीम कार्यवाही सुरेश गांधी किराणा स्टोर पर संभव नही होने से कानि. ईश्वरलाल नं. 320 को सुरेश गांधी किराणा स्टोर पर ही मुकीम रहकर बरामदगी स्थल को सुरक्षित रखने, दुकान के काउन्टर के साथ कोई छेडछाड नहीं हो तथा दुकान संचालक सुरेश गांधी को उक्त काउन्टर पर किसी प्रकार की छेडछाछ नही करने के सम्बन्ध में हिदायत कर अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाप्ता कानि. नरेन्द्र सिंह व कानि. श्री दिलीप कुमार मय परिवादी व सह परिवादी मय आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के अपने-अपने वाहनो से मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों व बरामदशुदा रिश्वत राशि 6000/- रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के उप वन संरक्षक कार्यालय अरनोद रोड प्रतापढ़ के लिये रवाना हो समय 0415 पी.एम. पर उप वन संरक्षक कार्यालय अरनोद रोड प्रतापढ पहुंचे कार्यालय बन्द था तथा सभी कमरो पर ताले लगे थे आज दिनांक को राजकीय अवकाश होने से कार्यालय बन्द मिला कार्यालय के बरामदे में पडी एक खांट पर बैठकर आरोपी के समक्ष वक्त कार्यवाही स्वतन्त्र गवाहो ने बरामद राशि 6000/- रूपये स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये थे उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट राशि 6000/- रूपये प्राप्त कर क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय अरनोद रोड प्रतापगढ़ के कार्यालय के बरामदे में दोनो स्वतंत्र गवाहान से बरामदशुदा रिश्वत राशि के नम्बरो का मिलान पुर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरो से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु निम्नानुसार होना पाया गयाः-

क.स.

नोट का प्रकार नोटो के नम्बर

1 500/- रूपये का एक नोट 9RR 801628
2 500/- रूपये का एक नोट 3BP 247546
3 500/- रूपये का एक नोट 5NW 084385
4 500/- रूपये का एक नोट 1DV 542050
5 500/- रूपये का एक नोट 5QC 027622
6 500/- रूपये का एक नोट 0QH 727165

7 500/- रूपये का एक नोट 2ME 414602
8 500/- रूपये का एक नोट 8AA 761864
9 500/- रूपये का एक नोट 8KG 874848
10 500/- रूपये का एक नोट 9QE 681358
11 500/- रूपये का एक नोट 3PS 092011
12 500/- रूपये का एक नोट 5LK 142468

बरामदशुदा उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट राशि 6000/- रूपये स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री मदन लाल के हाथ में पकडे हल्के गुलाबी रंग के फोल्डर को चैक किया तो उसमें ग्राम ठाकरा की एक सुची जिसमें 117 कम संख्या तक हस्तलिखीत नाम एवं उनमें कुछ के आगे संख्या लिखी हुई तथा तीन अलग-अलग व्यक्तिगत दावा सुचक प्रपत्र जो कि कमशः 1. सुखलाल पिता वागजी, 2. नारायण पिता वागजी व 3. श्यामलाल पिता वागजी सभी मुकाम ठाकरा पोस्ट पृथ्वीपुरा प्रतापगढ प्राप्त हुये जो कि परिवादी एवं उनके परिजनो की वन भूमि के अधिकार के दावों से सम्बन्धित है। इसकी ताईद परिवादी ने की इसके अतिरिक्त उक्त हल्के गुलाबी फोल्डर में पटवार मण्डल के कार्यों से सम्बन्धित कागजात एवं विधान सभा प्रश्न संख्या 1486 के बिन्दु सं. 01 के जवाब से सम्बन्धित कागजात एवं पटवारी की मौका पर्च रिपोर्ट के कई रिक्त प्रपत्र भी मिले तथा अन्य स्टेशनरी सामान मिले जिसे प्राप्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु दो महिला कानि. की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्र कमांक 1148 दिनांक 26.08.2026 थानाधिकारी महिला थाना जिला प्रतापगढ़ को ब्यूरो कार्यालय पर उपलब्ध करवाने हेतु जरिये मेल पत्र प्रेषित किया गया। आरोपी के दोनो हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल सुरेश गांधी किराणा स्टोर के काउन्टर से बरामद हुये जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय अरनोद रोड प्रतापगढ़ का कार्यालय अवकाश के कारण बन्द होने व राजकीय अवकाश होने से अन्य कार्यालय भी बन्द होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाप्ता मय परिवादी व सह परिवादी मय आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के अपने-अपने वाहनो से मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों व बरामदशुदा रिश्वत राशि 6000/- रूपये मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो समय 0435 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित हुये। तत्पश्चात आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के दोनों हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री दिलीप नं. 319 से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में कार्यालय में पीने के पानी की बोतल में से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी व सह परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के घोवन का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया । जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट राशि 6000 रूपये जो परिवादी द्वारा अपनी जेब से निकालकर आरोपी पटवारी के दाहिने हाथ में देने लगा तो आरोपी पटवारी ने उक्त राशि को एक बार हाथ में पकडकर छोड दिया परिवादी दुबारा देने लगा तो आरोपी पटवारी ने अपने हाथ से परिवादी के हाथ को किराणा की दुकान के काउन्टर की तरफ धक्का लगाकर दुकान वाले को देने के लिये कहा जिस पर उक्त रिश्वत राशी 6000/- रूपये परिवादी ने दुकान के काउन्टर पर रखकर निर्धारित ईशारा किया जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह से बरामद करा उसके पास ही सुरक्षित रखे गये थे। उक्त किराणा दुकान के काउन्टर जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है का घोवन लिया जाना आवश्यक होने से तथा घटना स्थल निरीक्षण करना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय कानि. दिलीप कुमार मय परिवादी व सह परिवादी मय आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के कार्यालय से समय 0605 पी.एम. पर रवाना हो मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी मोबाईल फोन सॅमसंग मय मेमोरी कार्ड व आवश्यक संसाधन के मय सरकारी वाहन बोलेरो के रवाना हो समय 0613 पी.एम. पर मन्दसौर नाका सुरेश गांधी किराणा स्टोर पर पहुंचा जहां पूर्व में बरामदगी स्थल की निगरानी हेतु श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 को मामुर किया हुआ था उपस्थित मिला जिससे रिश्वत राशि बरामदी स्थल पर किसी प्रकार की छेडछाड होने के सम्बन्ध में पुछा तो छेडछाड नही होना बताया। तत्पश्चात कानि. श्री दिलीप नं. 319 से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में किराणा की

दुकान में पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। कानि. श्री दिलीप नं. 319 द्वारा ट्रेप बॉक्स से एक सफेद कपडे की चिन्दी निकालकर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में कपडे की चिन्दी भिगोकर किराणा स्टोर के काउन्टर पर जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है वहा भिगी हुई चिन्दी को काउन्टर पर घुमाकर चिन्दी को पुनः सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर के भरे गिलास के घोल में धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी श्री सुनील मीणा व सह परिवादी श्री दिनेश कुमार की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर पृथक से फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब कर संबन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। बाद फारीक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कानि. नं. 319 को सुरक्षीत रखने हेतु संभलाया गया। कार्यालय पर महिला थाना प्रतापगढ की श्रीमती श्यमा महिला सउनि व श्रीमती चेतना महिला कानि उपस्थित मिली जिन्हे कार्यालय कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी व धोवन की कार्यवाही की वीडियोग्राफी सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 26.08.2026 समय 0635 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ईश्वरलाल कानि.नं. 320 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (KDM 8 GB बरंग काला) में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री ईश्वरलाल कानि० द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (KDM 8 GB बरंग काला) निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री मदन लाल पटवारी का किराये का मकान कस्बा प्रतापगढ़ के इन्द्रा कॉलोनी में होना बताया जाने पर श्री ईश्वरलाल कानि.नं. 320 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (KDM Micro SD 8GB) जो पूर्व में श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्रीमती श्यामा महिला सउनि व श्रीमती चेतना महिला कानि मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री दिलीप कुमार कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय आवश्यक संसाधन के आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के किराये के मकान का मकान ईन्द्रा कॉलोनी की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। दिनांक 26.08.2026 समय 0640 पी.एम.पर उपरोक्त फिगराबाला का स्वानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्रीमती श्यामा महिला सउनि व श्रीमती चेतना महिला कानि मय डिटेनशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री दिलीप कुमार कानि मय सरकारी वाहन बोलेरो मय आवश्यक संसाधन का आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के किराये का मकान कस्बा प्रतापगढ़ के ईन्द्रा कॉलोनी की खाना तलाशी हेतु रखानाशुदा किराये का मकान पहंचुकर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई दौराने खाना तलाशी आरोपी के मकान से 109000/- रूपये नकद मिले जिनके बारे में आरोपी श्री मदन लाल पटवारी से पुछने पर संतोषप्रद जवाब नही दिया तथा श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। बाद खाना तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के सरकारी वाहन बोलेरो ब्यूरो कार्यालय हेतु रवाना हुये। दिनांक 26.08.2026 समय 0650 पी.एम.पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय सरकारी वाहन बोलेरो के उपस्थित कार्यालय आये। तथा श्रीमती श्यामा महिला सउनि व श्रीमती चेतना महिला कानि को जाये तैनाती रुखसत किया गया। दिनांक 26.08.2026 समय 0720 पी.एम. पर दिनांक 25.08.2026 को समय 0555 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकीय निवास पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर   से आरोपी श्री मदन लाल पटवारी के मोबाईल नम्बर   पर परिवादी का मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखकर वार्ता की थी जिसे कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी एवं सह परिवादी के समक्ष श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर उक्त मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रान्सकीप्ट मन् अतिक्ति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि ईश्वरलाल नं. 320 से पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री मदन लाल पटवारी की होना बताया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री मदन लाल पटवारी द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है. उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से

पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 26.08. 2026 समय 0740 पी.एम. पर आज दिनांक 26.08.2026 समय 0328 पी.एम. पर मन्दसौर नाका से रोकडिया हनुमान जी मन्दिर जाने वाले मार्ग पर पुरानी कोर्ट के सामने परिवादी श्री सुनिल मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर रिश्वत राशि लेनदेन हेतु आरोपी की लोकेशन हेतु परिवादी का मोबाईल लाउड स्पीकर पर रखकर वार्ता कराई गई जिसे कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल बॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया एवं समय 0343 पी.एम पर अशोक नगर के बाहर जिला चिकित्सालय से मन्दसौर रोड के बीच कानि नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी श्री सुनील मीणा को रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सुपुर्द किया उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। कुल 02 वार्ताये उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी एवं सह परिवादी के समक्ष श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर उक्त मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रान्सकीप्ट मन् अतिक्ति पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि ईश्वरलाल नं. 320 से पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री मदन लाल पटवारी की होना बताया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री मदन लाल पटवारी द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता एवं लेनदेन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 26.08.2026 समय 0900 पी.एम.पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 24.08.2026 समय 0440 पी.एम., समय 0510 पी.एम. एवं समय 0526 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया तथा समय 0536 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन आमने सामने वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी श्री सुनील मीणा द्वारा रिकॉर्ड किया गया व दिनांक 25.08.2026 को समय 0555 पीएम पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया एवं दिनांक 26.08.2026 समय 0328 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया एवं समय 0343 पी. एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई आमने-सामने रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, इस तरह कुल 07 वार्तायें उक्त समस्त वार्ताएँ जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री ईश्वर लाल कानि 320 से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को कॉपी कर तीन पेन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर न्यायालय पैन ड्राईव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राईव तथा तीसरी पैनड्राईव पर आरोपी पैन ड्राईव लिखा गया। न्यायालय पैन ड्राईव तथा आरोपी पैन ड्राईव KDM कम्पनी स्टील बरंग सिल्वर जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बिन्धितो ने हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबधितो ने हस्ताक्षर किये जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। आई.ओ. पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफे में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 0930 पी.एम.पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 24.08.2026 समय 0440 पी.एम., समय 0510 पी.एम. एवं समय 0526 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया तथा समय 0536 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन आमने सामने वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी श्री सुनील मीणा द्वारा रिकॉर्ड किया गया व दिनांक 25.08.2026 को समय 0555 पीएम पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया एवं दिनांक 26.08.2026 समय 0328 पी.एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के मोबाईल नम्बर पर

हुई वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रख रिकोर्ड किया गया एवं समय 0343 पी. एम. पर परिवादी श्री सुनील मीणा एवं आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला के मध्य हुई आमने-सामने रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, इस तरह कुल 07 वार्तायें उक्त समस्त वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री ईश्वर लाल कानि 320से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड KDM 8 GB बरंग काला को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 1000 पी.एम. पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ कार्यवाही के दौरान श्री ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB बरंग काला को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर विडियोग्राफी की दो पेन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर न्यायालय पैन ड्राईव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। न्यायालय पैन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बिन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबधितो ने हस्ताक्षर किये जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया। आईओ पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफें में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 1030 पी.एम.पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ कार्यवाही के दौरान् श्री ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover 7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB बरंग काला मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर नियमानुसार हेश वेल्यू निकाल कर मुल मेमोरी कार्ड को चीट पर संबधितो ने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 1050 पी.एम.पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ में आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के कस्बा प्रतापगढ इन्द्रा कॉलोनी गली नम्बर 02 पर स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover 7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB बरंग काला मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर विडियोग्राफी की तीन पेन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर न्यायालय पैन ड्राईव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राईव तथा तीसरी पर आरोपी मदन लाल पटवारी पैन ड्राईव लिखा गया। न्यायालय पैन ड्राईव व आरोपी पैन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बिन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आईओ पेनड्राईव को अनशील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफे में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26.08.2026 समय 1120 पी. एम. इस समय उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी व आरोपी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ में आरोपी श्री मदनलाल पटवारी के कस्बा प्रतापगढ इन्द्रा कॉलोनी पर स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover 7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB बरंग काला मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर नियमानुसार हेश वेल्यू निकाल कर मुल मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत लिया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो ने हस्ताक्षर किये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 26. 08.2026 समय 1150 पी.एम. पर अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल खटीक जाति खटीक उम्र 58 साल निवासी मोहल्ला नारेला ग्राम पंचायत नारेला जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (B) (ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पुत्र श्री राहुल खटीक को जरिये मोबाईल दी गई। दिनांक 27.08.2026 समय 1220 ए.एम. पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी के समक्ष आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल खटीक जाति खटीक उम्र 58 साल निवासी मोहल्ला नारेला ग्राम पंचायत नारेला जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ की जामा तलाशी पुर्व में स्वतन्त्र गवाह श्री अनिल गुर्जर से लिवाई गई थी तो आरोपी के दोनो जेब से 500-500 रूपये की एक गड्डी मिली तथा एक रियलमी कम्पनी का एन्ड्रोईड मोबाईल फोन तथा ईन्टेल कम्पनी का कि-पेड फोन मीला जिसे स्वतंन्त्र गवाह श्री अनील गुर्जर के पास सुरक्षीत रखने की हिदायत मुनासिब की गई। जिस प्राप्त कर 500-500 रूपये की गड्डी को स्वतंत्र गवाहान द्वारा गिना तो 500-500 के कुल 49 नोट, 100-100 के 02 नोट, 50-50 के 05 नोट, 20-20 के 03 नोट तथा 10-10 के 04 नोट एवं 5-5 के 02 सिक्के, 2-2 के 02 सिक्के एवं 1-1 के 4 सिक्के कुल राशि 25068/- रूपये हुये जिन्हे कब्जे ब्यूरो लिया गया। तथा एक रियलमी कम्पनी का एन्ड्रोईड मोबाईल फोन जिसमें एक सिम रिलायन्स जिओ कम्पनी की जिसके नम्बर है तथा ईन्टेल कम्पनी का कि-पेड फोन जिसमें दो सिम लगी हो एक स्लोट में वोडाफोन कम्पनी की सिम जिसके नम्बर एवं दुसरे स्लोट में बीएसएनएल कम्पनी की सिम लगी हो जिसके मोबाईल नम्बर को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 27.08.2026 समय 1240 ए.एम.पर आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल खटीक जाति खटीक उम्र 58 साल निवासी मोहल्ला नारेला ग्राम पंचायत नारेला जिला चित्तौडगढ़ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कार्यालय पत्रांक 1152 दिनांक 27.08.2026 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्र पर ही अभी मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि नमूना देना या नही मुझे नही देना है अंकित कर प्रेषित किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 0100 ए.एम. इस समय आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल खटीक जाति खटीक उम्र 58 साल निवासी मोहल्ला नारेला ग्राम पंचायत नारेला जिला चित्तौडगढ़ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ को कार्यालय पत्रांक 1158 दिनांक 27.08.2026 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्र पर ही निवेदन है कि मेरी जेब में मिले पच्चीस हजार अडेसठ रूपये एवं मेरे घर पर मिले एक लाख नो हजार रूपये मैंने कुछ मेरे बैंक अकाउन्ट से ए.टी.एम. के जरिये निकाले एवं दुसरे सुरेश कुमार गांधी निवासी प्रतापगढ़ से उधार लिये अंकित कर प्रेषित किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 0120 ए.एम.पर रात का समय अत्यधिक हो जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह, परिवादी, सह परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता को ब्यूरो कार्यालय पर रात्री विश्राम करने की हिदायत मुनासीब कर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि व श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 को गिरफ्तारशुदा आरोपी की ब्यूरो कार्यालय पर निगरानी हेतु मामुर कर खाना राजकीय निवास पर हुआ। आईन्दा अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 27.08.2026 समय 0800 ए.एम. पर मन् हैड कानि गणेश प्रसाद नं. 06 एवं श्री दिलीप कुमार कानि. गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी को देनिक दिनचर्या से निर्वत कराया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 0900 ए.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद रात्री विश्राम अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित कार्यालय हो आरोपी श्री मदनलाल पटवारी को स्वास्थ के बारे मे पुछा तो स्वस्थ होना बताया तत्पश्चात अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 27.08.2026 समय 0915 ए.एम.पर कार्यालय पत्र कमांक 1154 दिनांक 27.08.2026 द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला प्रतापगढ को दिनांक 26.08.2026 को जीरो माईल स्थित सुरेश गांधी किराणा स्टोर पर ट्रेप कार्यवाही कर आरोपी श्री मदन लाल हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ को रिश्वत राशि लेते हुये ट्रेप किया गया है। जीरो माईल चौराया (नल चौराहा) पर लगे सीसीटीवी केमरो की दिनांक 26.08.2026 को समय 300 पीएम से 4.15 पीएम तक की विडियो रिकार्डिंग उपलब्ध कराने हेतु जरिये मेंल पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 1041 ए.एम. पर कार्यालय पत्र कमांक 1157 दिनांक 27. 08.2026 द्वारा तहसीलदार तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ को आरोपी श्री मदनलाल पटवारी का सेवा विवरण उपलब्ध कराने बाबत् जरिये मेंल पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 27. 08.2026 समय 1055 ए.एम.पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल खटीक जाति खटीक उम्र 58 साल निवासी मोहल्ला नारेला ग्राम पंचायत नारेला जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहणिया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ़ का सजायाबी रिकोर्ड उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1156 दिनांक 27.08.2026 द्वारा थानाधिकारी पुलिस चन्देरिया जिला चित्तौडगढ को तेहरीर जारी कर जरिये मेल भेजा गया। दिनांक 27.08.2026 समय 1130 ए.एम.पर कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तोडगढ के पत्र कमांक 3606 दिनांक 27.08.2026 द्वारा आरोपी श्री मदन लाल पटवारी का आपराधिक रिकोर्ड जरिये मेंल प्राप्त हुआ जिसे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक

27.08.2026 समय 1230 पी.एम.पर श्री रमेश मीणा नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय पिपलखूंट जिला प्रतापगढ उपस्थित ब्यूरो कार्यालय हो कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ राज. के पत्र कमांक 621 दिनांक 27.08.2026 द्वारा आरोपी का सेवा विवरण पेश किया जिसे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात कार्यालय पत्र क्रमांक 1159 दिनांक 27.08.2026 श्री रमेश मीणा नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय पिपलखूंट जिला प्रतापगढ को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री सुनिल मीणा व आरोपी मदन लाल पटवारी के मध्य दिनांक 24.08.2026 व 25.08.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 26.08.2026 को हुई लेनदेन वार्ता रिकोर्ड है। उक्त वार्ताओ श्री रमेश मीणा नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय पिपलखूंट जिला प्रतापगढ ने उक्त वार्ताओ को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट करा बारी-बारी कर सुनाई गई तो श्री रमेश मीणा नायब तहसीलदार ने उक्त पत्र पर ही हस्तलिखीत डीवीआर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रेकार्ड वार्ताओ को सुनाया गया तो उसमें एक आवाज मदनलाल पटवारी की है अंकित कर हस्ताक्षर किये गये जिसे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 0230 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गणेशप्रसाद हैड कानि. नं. 06. श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी मय वाहन सरकारी बोलेरो के आरोपी का मेडिकल मुआयना कराने हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ हेतु रवाना किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 0330 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा श्री गणेशप्रसाद हैड कानि. नं. 06, श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी मय वाहन सरकारी बोलेरो के आरोपी का मेडिकल मुआयना कराने हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ गया हुआ आरोपी का मेडीकल करा हाजिर कार्यालय हो श्री गणेश प्रसाद हैउ कानि द्वारा मेडीकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की जिसे प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 27.08.2026 समय 0400 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही की समस्त दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण होने से दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी तथा सह परिवादी को रुखसत किया गया। दिनांक 27.08.2026 समय 1000 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता श्री दिलीप कानि. नं. 319, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि नं. 06 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मदनलाल पटवारी पटवार हल्का केलागेला अतिरिक्त चार्ज गाम पंचायत रोहणिया तहसील पिपखुंट जिला प्रतापगढ मय सरकारी वाहन बोलेरा से रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रतापगढ़ के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। दिनांक 27.08.2026 समय 1150 पी.एम. पर उपरोक्त फिगरा का खानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता मय जाप्ता श्री दिलीप कानि. नं. 319, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि नं. 06 उपस्थित कार्यालय आया। कार्यालय से रखाना हो माननीय जिलाधीश महोदया श्रीमती आशा कुमारी अतिरिक्त चार्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय प्रतापगढ़ के राजकीय निवास पहुंच आरोपी श्री मदनलाल पटवारी को पेश जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदया ने आरोपी को जे.सी. करने के आदेश किये। जिस पर समय रात्री का होने से जिला कारागृह में जमा कराना सम्भव नही होने के कारण पुलिस थाना प्रतापगढ़ की हवालात में रखने हेतु थानाधिकारी के नाम ब्यूरो कार्यालय के पत्र क्रमांक 1162 दिनांक 27.08.2026 तेहरीर मुर्तिब कर जरिये तेहरीर के दाखील हवालात कर हाजिर आया । दिनांक 28.08.2026 समय 0730 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता कानि दिलीप कुमार व श्री गणेशप्रसाद हैड कानि मय विभागीय वाहन के आरोपी मदनलाल पटवारी को पुलिस थाना प्रतापगढ से प्राप्त कर जिला कारागृह प्रतापगढ जमा कराने हेतु रवाना हुआ। दिनांक 28.08.2026 समय 0900 ए.एम. पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता कानि दिलीप कुमार व श्री गणेशप्रसाद हैड कानि मय विभागीय वाहन के हाजिर कार्यालय आया। कार्यालय से रवाना हो पुलिस थाना प्रतापगढ पहुंच आरोपी श्री मदन लाल पटवारी को हवालात से बाहर निकालकर हमरा लेकर जिला कारागृह प्रतापगढ़ पहुंच आरोपी को जमा करा जमा रसीद प्राप्त कर हाजिर आया। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व जरिये मोबाईल मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, प्राप्त गोपनिया सूचनाओ तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी व उसके परिवार वालो के प्रत्येक पट्टा ऑनलाईन करने व मौका देखने कि एवज में दो-दो हजार रूपये कुल तीन पट्टो की राशि 6000/- छः हजार रिश्वत राशि मांग की मांग की जा रही है जिस पर दिनांक 24.8. 2026 व 25.08.2026 को रिश्वत राषि की मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग अनुसार दिनांक 26.08.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी श्री मदन लाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त ग्राम पंचायत रोहणीया तहसील पिपलखूंट जिला प्रतापगढ राज को 6000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया । इस प्रकार आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल उम्र 58 साल जाति खटिक निवासी नारेला ग्राम पंचायत नारेला पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहनिया तहसील पिपलखुट जिला प्रतापगढ़ राज द्वारा अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिश्वत राशि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जो, जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल उम्र 58 साल जाति खटिक निवासी नारेला ग्राम पंचायत नारेला

पुलिस थाना चन्देरिया जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी पटवार हल्का केलामेला अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहनिया तहसील पिपलखुट जिला प्रतापगढ राज के विरूध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संबोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।भवदीय,(विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ …………......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विकम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मदन लाल पिता श्री नारायण लाल, उम्र 58 साल, जाति खटिक, निवासी नारेला, ग्राम पंचायत नारेला, पुलिस थाना चन्देरिया, जिला चित्तौडगढ हाल पटवारी, पटवार हल्का केलामेला, अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत रोहनिया, तहसील पिपलखुट, जिला प्रतापगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोपाल स्वरूप मेवाडा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 496 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1417-20 दिनांक 31.08.206 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ़ 2- जिला कलक्टर, प्रतापगढ 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** GOPAL SWAROOP MEWARA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 31/08/2026 11:07:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)